न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या— 07/19

तारीख रज्जू—08/07/19

भोल्या उर्फ भोलूराम पुत्र किशना उम्र 55 वर्ष जाति कोली निवासी बगीना हाल निवासी 949 पी एच द्वितीय रामदरबार कॉलोनी चण्डीगढ़।
———.अपीलान्ट्स

बनाम

जरिये तहसीलदार (लेण्ड होल्डर) महोदय, चौथ का बरवाड़ा।
———रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक— 30.8.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम बगीना के नामान्तकरण संख्या 8 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार तहसील चौथ का बरवाड़ा ने ग्राम बगीना में किशना पुत्र रामहेत की स्थित खातेदारी भूमि का किशना के फौत हो जाने पर उक्त भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 8 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.1992 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। अदालत मातहत से मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता का देहान्त होने के बाद जो विरासत नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा 10.06.1992 को भोल्या पुत्र किशना के नाम से भरा गया है। लेकिन अतिरिक्त तहसीलदार ने किशन लाल पुत्र रामहेत की धर्मपत्नि गुलाब देवी के बजाय गलत तरीके से जानकी पत्नि भोल्या का नाम नामान्तकरण में तस्दीक कर दिया है। जो नियम विपरित होने से निरस्तनीय है, साथ ही अतिरिक्त तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा ने जानकी देवी को किशनलाल की धर्मपत्नि माना है तो उसके पति का नाम भोल्या अंकित किया है जो गलत है भोल्या को किशना व गुलाब देवी का पुत्र है जबकि भोल्या उर्फ भोलूराम की धर्मपत्नि का नाम रूकमणी देवी है, साथ ही वकील अपीलान्ट ने नामान्तकरण संख्या 8 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.1992 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त विरासत नामान्तकरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर खोला गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही नामान्तकरण सं0 8 में पारित निर्णय दिनांक 10.06.1992 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त मूल नामान्तकरण के पुस्त भाग पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट की हुई है कि किशना फोत हो चुका है। जिसके एक मात्र लड़का भोल्या के नाम व जानकी बेवा भोल्या के नाम नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जबकि जानकी किशना की बेवा हो सकती है। यदि भोल्या की बेवा है तो भोल्या का नाम नहीं आना चाहिए था, साथ ही अदालत मातहत द्वारा उक्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत से विधिक वारिसान संबंधीत कोई प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को न सुनकर निर्णय पारित किया है। जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा उभय पक्षों को सुना जाकर ही नियमानुसार किशना पुत्र रामहेत के वास्तविक वारिसान की जांचकर नामान्तकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। जिसका अदालत मातहत की पत्रावली में अभाव पाया गया है।

अतः मेरे अभिमत मैं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 8 निर्णय दिनांक 10/06/92 वाके ग्राम बगीना निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है के उभय पक्षों की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर